जिला निर्वाचन कार्यालय 06272–245412
Email ID - dyeo.dbg-bih@nic.in

# समाहरणालय, दरभंगा
## (जिला निर्वाचन कार्यालय)

आवास – 06272 – 240300
कार्यालय – 06272 – 240200
फैक्स न0 – 06272–240400
Email ID - dm-darbhanga.bih@nic.in

पत्रांक 1459 / जि0 निर्वा0

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

सेवा मे्

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा।
कार्य पालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेनीपुर।

लहेरियासराय, दिनांक 08 वीं सितम्बर, 2015

विषय :– नगर निकाय क्षेत्र में लगाये गये होडिंग/पोस्टर आदि के विरूद्ध कर्रवाई करने के संबंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के क्रम में देखा जा रहा है कि राजनैतिक दलों एवं अन्य के द्वारा बिहार सम्पति विरूपन अधिनियम (अद्यतन संशोधित 2010) के प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण करते हुए शहरी निकाय क्षेत्रों में विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर दिवाल लेखन/पोस्टर/पंम्पलेट/अवैध होडिंग आदि के द्वारा सम्पति का विरूपन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में *बिहार सम्पति विरूपन अधिनियम 1987 (अद्यतन संसोधित 2010) के धारा–3 (1)* पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस धारा में स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि *" वह व्यक्ति जो भी किसी सम्पति के स्वामी या अधिभोगी का नाम या पता प्रदर्शित करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन सेसार्वजनिक रूप से दृश्यमान किसी सम्पति को स्याही, खल्ली, रंग या किसी अन्य सामग्री से लिखकर या चिह्नित करके विरूपित करेगा, माना जायेगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उसने अपराध किया है और वह छह महीने तक के कारावास या एक हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। "* पूर्व में विभिन्न बैठकों में आपको निदेशित किया गया है कि तत्काल अपने क्षेत्र का सघन भ्रमण कर उसे हटाना सुनिश्चित करें। *ऐसा प्रतीत होता है कि आपके स्तर से अभी तक गम्भीरता पूर्वक इस पर कार्रवाई नहीं की गयी है। यह अत्यंत खेद का विषय है।* पुनः आपको आदेशित किया जाता है कि **दिनांक–06.09.2015** के अन्दर अपने निकाय क्षेत्र के वैसे सारे विरूपन जो इस अधिनियम के प्रतिकूल है, उसे हटायी जाय तथा संबंधित के विरूद्ध प्रावधानो के तहत कार्रवाई कि जाय तथा प्रतिदिन विधि व्यवस्था कोषांग को स–समय विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

2. विधान सभा आम निर्वाचन 2015 के दृष्टिगत आपके निकाय से संबंधित जितने भी अधिकृत होर्डिंग है, उनसे संबंधित *सूचना संलग्न प्रपत्र में 12 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा यह सूचना दी जाय की आपके द्वारा जिस–जिस Agency को एवं किस–किस स्थलों में होर्डिंग को भाड़े पर देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उनके द्वारा किन व्यक्तियों को इसे व्यवहार में लाने के लिए भाड़े पर दिया गया है तथा वर्त्तमान में उस होडिंग पर किस राजनैतिक दल एवं व्यक्तियों का पोस्टर/प्रचार सामग्री लगा हुआ है।* इसके अतिरिक्त निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत वैसे सारे अवैध होर्डिंग है उसे दिनांक–08.09.2015 के अपराहन् 5 बजे तक हटाते हुए संबधित व्यक्तियों के विरूध सम्पति विरूपन अधिनियम एवं यथा उपबंधित नगर पालिका अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई की जाय।

3. भारत निर्वाचन आयोग का प्रत्रांक–3/7/2008/JS-II Dated-07.10.2008 की कंण्डिका 4 में स्पष्ट रूप से ***Defacement of Public Places*** के वारे में निदेश दिया गया है कि "*If the local law expressly permits or provides for writing of slogans, displaying posters, etc., or erecting cut-outs, hoardings, banners, political advertisement, etc., in any public place, (as against a Govt. premise) on payment or otherwise, this may be allowed strictly in accordance with the relevant provisions of the law and law and subject to Court orders, if any on this Subject. it should be ensured that any such place is not dominated/monopolized by any particular party(ies) or candidate(s).* ***All parties and candidates should be provided equal opportunity in this regard."*** उपरोक्त के आलोक में आपको निदेशित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त पत्र में वर्णित निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। आपके सुलभ निदेश हेतु बिहार सम्पति विरूपन अधिनियम(**अद्यतन संशोधित 2010**) तथा भारत निर्वाचन आयोग का उपरोक्त पत्र संलग्न किया जा रहा है।

**शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

**अनुलग्नक :– यथोक्त।**

विश्वासभाजन

10/09/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक 1459 / जि0निर्वा0दिनांक 8.9.2015

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी पुलिस उपाधीक्षक, दरभंगा जिला को सूचानार्थ एवं पत्र में वर्णित विन्दुओं के आलोक में आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी निर्वाची पदाधिकारी, विधान सभा आम निर्वाचन 2015 दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, विधि व्यवस्था कोषांग विधान सभा आम निर्वाचन 2015 दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/09/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

# होडिंग से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु प्रपत्र

| क्र0 | नगर निकाय का नाम | Agency का नाम | होडिंग का प्राधिकृत स्थल | होडिंग का आकार | वर्तमान में किस व्यक्ति या राजनैतिक दल को उपयोग में दिया गया है | एकरारनामा की अवधि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |